प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान
इंदिरा पुल के पास, भाट, गांधीनगर - 382 428,(भारत)

INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH
NEAR INDIRA BRIDGE, BHAT, GANDHINAGAR –382428 (INDIA)

उप-नियम BYE-LAWS

उप-नियमों को 31.10.2018 को आयोजित 41 वीं शासी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया और 02.04.2019 को आयोजित शासी परिषद की 42 वीं बैठक में 41 वें शासी परिषद के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

(अनुवाद पुनरीक्षण - केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली)

क्र. सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
	अध्याय –I सामान्य	1
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	1
2.	संस्थान का नाम एवं पता	1
3.	परिभाषा और व्याख्या	1
4.	लक्ष्य एवं उद्देश्य	3
5.	संस्थान की संपत्ति का अधिकरण	3
	अध्याय – II शासी परिषद का गठन, उसकी बैठक एवं प्रक्रिया	4
6.	शासी परिषद	4
7.	शासी परिषद की बैठक	4
8.	बैठक की सूचना	5
9.	बैठक के अध्यक्ष	5
10.	कोरम और प्रक्रिया	6
11.	स्थगित बैठक	6
12.	बैठक का कार्यवृत्त	6
13.	परिसंचरण द्वारा कार्य	7
14.	रिक्ति	7
15.	परिषद की समिति	7
16.	परिषद के आदेश और निर्णय का प्रमाणीकरण	7
17.	अपात्रता	7
	अध्याय – III परिषद और अन्य अधिकारियों की शक्तियां	8
18.	परिषद की सामान्य शक्तियाँ	8
19.	सेवा का विस्तार	9
20.	संस्थान के सत्र	10
21.	अनुशासनानिकर्ता प्राधिकारी	10
22.	अनुशासनानिकर्ता प्राधिकारी	10
23.	प्राधिकारियों की विशिष्ट शक्तियाँ	10
	अध्याय – IV स्टाफ, उनकी श्रेणियाँ एवं नियुक्तियाँ	13
24.	संस्थान के स्टाफ सदस्यों का वर्गीकरण	13
25.	नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियाँ	14
26.	संस्थान के निदेशक/प्रमुख की नियुक्ति	14
27.	कार्यवाहक निदेशक/कार्यकारी निदेशक	15
28.	रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ लेखा प्रमुख की नियुक्ति	15
	अध्याय – V वित्त एवं लेखा	15
29.	वर्ष	15
30.	संस्थान का बजट एवं निधि	15

31.	लेखा परीक्षा	**16**
32.	वित्तीय अधिकारों का प्रयोग	**17**
	अध्याय – VI समितियाँ	**17**
33.	वित्तीय समिति – निर्माण	**17**
34.	खरीद, निर्माण एवं निर्माण कार्य समिति (PBWC)	**18**
35.	निदेशक की सलाहकार परिषद (DAC)	**18**
36.	भर्ती/पदोन्नति समितियों का गठन	**18**
	अध्याय – VII सेवा नियमावली	**18**
37.	अनुशासन नियमावली	**18**
38.	छुट्टी नियमावली	**18**
39.	स्टाफ की नियुक्ति एवं पदोन्नति	**19**
40.	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगों के लिए आरक्षण	**19**
41.	अनुबंध आधारित सेवाएँ	**19**
42.	परियोजना आधारित नियुक्तियाँ	**19**
43.	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (CHSS)	**20**
44.	अंशदायी भविष्य निधि नियमावली	**20**
45.	खरीद और भंडारण प्रक्रियाएँ	**20**
	अध्याय - VIII विविध	**20**
46.	संस्थान की ओर से अनुबंधों का निष्पादन	**20**
47.	शाश्वत उत्तराधिकार	**20**
48.	उप-नियमों में संशोधन	**20**
49.	अवशेष शक्ति	**20**
50.	उपनियमों की व्याख्या	**20**
51.	छूट का अधिकार	**20**
52.	वार्षिक रिपोर्ट	**21**
53.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	**21**
54.	शिकायत निवारण क्रियाविधि की स्थापना	**21**
55.	कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन	**21**
56.	नियम और विनियम	**21**
57.	इसमें सम्मिलित नहीं किये गये मामलें	**21**
58.	बचाव खंड	**21**

उपनियम

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का सहायता प्राप्त संस्थान)

अध्याय – I

सामान्य

1 संक्षिप्त क्रम एवं प्रारंभ

1.1 इन उपनियमों और संविधियों को "प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान(इसके बाद "संस्थान" के रूप में संदर्भित) के उप-नियम" कहा जाएगा। ये केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख 1 मई 2019 से लागू होंगे।

1.2 इन उप-नियमों को प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के नियमों और विनियमों के साथ जोड़कर पढ़ा जाए।

1.3 यह प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के पहले अनुमोदित उपनियमों का अधिक्रमण करते हैं।

2 संस्थान का नाम एवं पता

सहायता प्राप्त संस्थान का नाम "प्लाज्मा अनुसंधान के लिए संस्थान" इसके बाद "संस्थान" कहा जाएगा। सहायता प्राप्त संस्थान का पंजीकृत कार्यालय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इंदिरा ब्रिज के पास, भाट गांव, गांधीनगर 382 428 गुजरात होगा।

इसके अंतर्गत तीन परिसर हैं –

(i) प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान(आईपीआर), इंदिरा पुल के पास, भाट गाँव, गांधीनगर-382428, गुजरात

(ii) औद्योगिक प्लाज़्मा प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र, प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, (एफसीआईपीटी, आईपीआर) – A-10/B, जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट, गांधीनगर-382044, गुजरात

(iii) प्लाज़्मा भौतिकी केन्द्र-प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान(सीपीपी-आईपीआर), नज़ीराखत, सोनपुर-782402, असम

3 परिभाषा और व्याख्या

इन उप-नियमों में, निम्नलिखित शब्दों और संक्षिप्त रूपों का अर्थ इस प्रकार जब तक संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करता है :

(क) 'अधिनियम' का अर्थ परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है

(ख) "प्रशासनिक विभाग" का अर्थ परमाणु ऊर्जा विभाग,भारत सरकार है।

(ग) "प्राधिकारी, अधिकारी और शिक्षाविद् / प्रोफेसर" का अर्थ क्रमशः संस्थान के प्राधिकारी,अधिकारी और शिक्षाविद /प्रोफेसर है।

(घ) "वित्त समिति" या "स्थायी वित्त समिति" का अर्थ संस्थान की वित्त समिति है।

(ङ) उच्च मूल्य की खरीद और निर्माण कार्य के लिए स्थायी समिति का अर्थ संस्थान की "खरीद, भवन और निर्माण समिति (PBWC)" है।

(च) " उप नियमों" का अर्थ संस्थान के उप नियम हैं।

(छ) "अध्यक्ष" का अर्थ संस्थान के शासी परिषद का अध्यक्ष है।

(ज) "केंद्र सरकार / सरकार" का अर्थ भारत सरकार, है जिसका परमाणु ऊर्जा विभाग प्रतिनिधित्व करता है।

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ इन नियमों या संस्थान में लागू होने वाले किसी भी अन्य नियमों या संस्थान में लागू होने वाले या इसके स्वायत्त निकायों / संस्थानों के लिए जारी सरकार /परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी आदेश के लिए निर्दिष्ट किया गया प्राधिकारी।

(ञ) "आयोग" का अर्थ परमाणु ऊर्जा आयोग है।

(ट) "सह-अध्यक्ष" का अर्थ, संस्थान के शासी परिषद के सह-अध्यक्ष से है।

(ठ) "विभाग" का अर्थ परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार है, जिसे इसमें आगे "पऊवि" कहा जाएगा ।

(ड) "निदेशक" का अर्थ संस्थान के निदेशक से है।

(ढ) "डीन (प्रशासन)" का अर्थ संस्थान के डीन (प्रशासन) से है।

(ण) "कार्यकारी परिषद" या "शासी परिषद" का अर्थ, संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी परिषद से है।

(त) "वित्त सलाहकार" का अर्थ यथास्थिति आंतरिक वित्तीय सलाहकार या वित्तीय सलाहकार या वित्त अधिकारी या संयुक्त लेखा नियंत्रक या प्रधान(लेखा) है।

(थ) GC का अर्थ है शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल)।

(द) "संस्थान" का अर्थ 28 अगस्त, 1986 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान है।

(ध) "रजिस्ट्रार" या "मु.प्र.अ" का अर्थ संस्थान का रजिस्ट्रार या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है।

(न) "राज्य सरकार" का अर्थ उस राज्य की राज्य सरकार हैं जिस राज्य में संस्थान/पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(ऩ) "डीएसी" का अर्थ है निदेशक मंडल की सलाहकार परिषद जिसे शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4. लक्ष्य एवं उद्देश्य

संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न रूप में होंगे:-

1. ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन को विकसित करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, प्लाज्मा भौतिकी और तापनाभिकीय संलयन अनुसंधान के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अध्ययन को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन और संचालन करना।
2. विज्ञान के नए, सशक्त और उभरते हुए अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना और संचालित करना और विशेष रूप से उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जो प्रौद्योगिकी के प्रमुख उभरते हुए क्षेत्र में उपयोगी होने की क्षमता रखते हैं।
3. संस्थान में शिक्षकों और अनुसंधान कर्मचारियों के शैक्षणिक समुदाय के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के साथ-साथ संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योग / अन्य एजेंसियों को हस्तांतरित करना।
4. देश में शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उपलब्ध विशेषज्ञता के सहयोग से जितना संभव हो, संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों के लिए उपकरणों के डिज़ाइन, विकास और निर्माण का कार्य करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए संस्थान की प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप और/या अन्य इकाइयों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन।
5. संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों के लिए उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण का कार्य करना।
6. प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना और जारी अनुसंधान क्षेत्रों में संस्थान और अन्य इच्छुक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एवं संस्थान के शैक्षणिक कार्य के लिए तथा वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए व्याख्यान, सेमिनार और संगोष्ठी का आयोजन करना।
7. भारत और विदेशों के उन वैज्ञानिकों को व्याख्यान देने और संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना जो संस्थान के हित के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।
8. संस्थान में किए गए अनुसंधान कार्यों से उत्पन्न आविष्कारों और खोजों से संबंधित किसी भी पेटेंट या लाइसेंस का अधिग्रहण करना।
9. अध्येतावृति फैलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक की व्यवस्था करना एवं प्रदान करना।
10. संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और/या विदेशी संस्थानों और अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।
11. संस्थान में शैक्षणिक कार्य से संबंधित मामलों पर जानकारी का प्रसार करना और वैज्ञानिक प्रपत्र, बुलेटिन और जर्नल प्रकाशित करना।

5. संस्थान की संपत्ति की अधिकार –

a) सभी भवन, भूमि, मशीनरी, औजार, संयंत्र और उपकरणों (चाहे प्रयोगशाला वर्कशॉप या अन्यथा), किताबें और जर्नल्स, फर्नीचर, सामान और फिक्चर्स परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के हैं।

b) किसी भी ट्रस्ट द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी अन्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान को उपहार में दी गई सभी संपत्तियां, धन या आस्तियाँ नियमों और उपनियमों के अधीन संस्थान की शासी परिषद के अधिकार में हैं।

अध्याय – II
शासी परिषद का गठन, उसकी बैठकें एवं प्रक्रियाएँ

6. शासी परिषद

नियमों और उपनियमों के अधीन, संस्थान के प्रशासन, प्रबंधन और कार्य निदेशन के मामले शासी परिषद के अधिकार में होंगे, जो इसके बाद कहलाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग शासी परिषद का गठन करेगा।

6.1 शासी परिषद की संरचना इस प्रकार होगी;

1. अध्यक्ष: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव या परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित विशिष्ट वैज्ञानिक।
2. सह अध्यक्ष: संस्थान के निदेशक पदेन सह अध्यक्ष होंगे।
3. राज्य सरकार के प्रतिनिधि: सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्रालय, गुजरात सरकार (पदेन)।
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक वैज्ञानिक।
5. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक वैज्ञानिक।
6. संस्थान के निदेशक के परामर्श से भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामित दो (2) वैज्ञानिक और एक (1) उद्योगपति / प्रौद्योगिकीविद
7. संस्थान के साथ काम करने वाले विभाग के संयुक्त सचिव
8. संयुक्त सचिव (वित्त), भारत सरकार
9. संस्थान के डीन (आर एंड डी)
10. रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गैर-सदस्य सचिव होंगे।

6.2 शासी परिषद एक स्थायी निकाय होगी। हालाँकि, परिषद के सदस्य 3 साल के लिए कार्यालय संभालेंगे। वे एक और सत्र के लिए फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे, यानी, एक सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल (पदेन सदस्यों को छोड़कर) की अनुमति दी जा सकती है। सदस्यों का कार्यकाल (खंड संख्या 6.1 की क्रम संख्या 4, 5, 6 को छोड़कर) संबंधित संगठनों में उनकी सेवा के साथ समाप्त होगा।

7. शासी परिषद की बैठकें

7.1 परिषद की बैठकें निदेशक द्वारा हर साल कम से कम दो बार बुलायी जाएगी, अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों की तारीख और समय तय किया जाएगा।

इस नियम के उद्देश्य के लिए, 1जनवरी को प्रत्येक वर्ष शुरू होगा और उसी वर्ष 31 दिसंबर को कैलेंडर वर्ष समाप्त होगा।

परिषद की बैठकें संस्थान के मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।

7.2 परिषद की एक विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य समय पर, या तो स्वयं की पहल पर या परिषद के कम से कम चार सदस्यों के अनुरोध पर आयोजित की जा सकती है।

8. बैठक की सूचना

8.1 परिषद की किसी भी बैठक के लिए, सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित किया जाएगा। हालांकि किसी सदस्य को परिषद की किसी भी बैठक की सूचना न मिलने पर, बैठक की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

8.2 प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान को इंगित करने वाला एक नोटिस परिषद के सचिव द्वारा लिखित रूप में सदस्यों को दिए गए पते पर भेजा जाएगा। अध्यक्ष अत्यंत आवश्यक विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए कम समय में सूचना देकर परिषद की एक विशेष बैठक बुला सकते हैं।

8.3 नोटिस को या तो हाथों-हाथ सुपुर्द किया जा सकता है या परिषद के कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए प्रत्येक सदस्य के पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा या ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है। यदि इस प्रकार भेजा गया है तो डाक के सामान्य तरीके से विधिवत रूप से समय पर भेजा गया माना जाएगा।

8.4 बैठक के कम से कम 10 दिन पहले कार्यसूची, परिषद के सचिव द्वारा परिचालित (सर्कुलेट) की जाएगी।

8.5 किसी भी मद को कार्यसूची में शामिल करने की मंशा की सूचना बैठक के कम से कम एक सप्ताह पहले परिषद के सचिव तक पहुँचनी चाहिए। अध्यक्ष किसी भी मद को शामिल करने की अनुमति दे सकता है, जो पहले से सूचित नहीं की गई है।

9. बैठक के अध्यक्ष

परिषद के अध्यक्ष परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों को आपस में किसी एक का चुनाव करना होगा या किसी बैठक के लिए अध्यक्ष का उम्मीदवार बैठक की अध्यक्षता करेगा और वह उस बैठक में अध्यक्ष के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करेगा।

10. कोरम और प्रक्रिया

10.1 परिषद की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित छह सदस्य कोरम का गठन करेंगे।

10.2 परिषद की बैठक में सभी सदस्यों की आपसी सहमति से विचार किए गए सभी मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय मानी जाएगी।

10.3 अध्यक्ष सहित परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा, और यदि परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी मामले पर बराबरी होने पर अध्यक्ष, एक अतिरिक्त निर्णायक वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

10.4 बैठक के संचालन के लिए प्रक्रिया के संबंध में सभी मामलों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

10.5 यदि परिषद का कोई सदस्य (परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) और राज्य सरकार के आधिकारी/प्रतिनिधियों के अलावा) परिषद से अनुपस्थिति की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह परिषद का

सदस्य नहीं रहेगा।

10.6 यदि संस्थान के साथ संपर्क करने वाले विभाग के संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव (वित्त) बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो उनके (प्रतिनिधियों/नामित व्यक्तियों) द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जो निदेशक/उपसचिव के पद से नीचे नहीं होने चाहिए। इस मामले में, प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति के पास पूर्ण अधिकार होगा और उसे विशेष परिषद की बैठक के लिए सदस्य माना जाएगा और वह कोरम का हिस्सा होगा।

11. स्थगित बैठक

यदि बैठक के लिए तय समय के बाद पंद्रह मिनट तक कोई कोरम नहीं बनता है, तो बैठक अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित किसी दूसरी तारीख और समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी। हालाँकि, यदि कोई बैठक पंद्रह मिनट के बाद कोरम पूरा न होने के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे उसी दिन 30मिनट के अंतराल के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेकर आयोजित किया जा सकता है। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

12 बैठक का कार्यवृत्त

12.1 रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो गैर-सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा, परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा और इस तरह की हर बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सदस्यों को जल्द से जल्द भेजेगा।

12.2 कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, परिषद की अगली बैठक में इसकी पुष्टि के लिए रखा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर किए जाने के बाद, उन्हें कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, जिसे हर समय परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

13. परिसंचरण द्वारा कार्य

परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों के अतिरिक्त, परिषद द्वारा किए जाने वाले संस्थान के किसी भी कार्य को सभी सदस्यों के बीच परिचालित करके किया जा सकता है, और इस तरह के परिचालित प्रस्ताव को बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा मंजूर किए जाने पर या अस्वीकृति का संकेत मिलने पर, यह उसी रुप में प्रभावी और बाध्यकारी होगा, जैसे कि यह प्रस्ताव परिषद की बैठक में पारित किया गया है। शासी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को सूचना और अनुसमर्थन के लिए शासी परिषद की अगली बैठक में सूचित किया जाना चाहिए।

14. रिक्ति

निदेशक के अलावा परिषद के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से उनका स्थान रिक्त होता है, तो इस तरह की रिक्ति उस अधिकारी द्वारा भरी जाएगी जो इस तरह का सदस्य नियुक्त करता है। इस तरह की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित सदस्य, उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय के लिए पद धारण करेगा,

जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

परिषद की सदस्यता में किसी की रिक्ति होने पर या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि के कारण परिषद की कोई कार्रवाई या संकल्प अमान्य नहीं होगा।

15. परिषद की समिति

परिषद अपने स्वयं के सदस्यों या संस्थान के कर्मचारियों या बाहर के विशेषज्ञों या इन व्यक्तियों के बीच से समितियों की नियुक्ति कर सकती है और इन समितियों को ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंप सकती है जो उप-नियमों और नियमों के अनुसार हैं।

16. परिषद के आदेशों और निर्णय का प्रमाणीकरण

परिषद के सभी आदेशों और निर्णयों को रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उनकी ओर से परिषद द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

17. अपात्रता

अध्यक्ष सहित परिषद के किसी भी सदस्य को निम्न में से किसी आधार पर ही सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा;

(क) मानसिक दुर्बलता

(ख) न्यायालय द्वारा सिद्ध अपराधी

(ग) दिवालियापन

(घ) त्यागपत्र

(ङ) सेवानिवृत्ति

(च) मृत्यु

अध्याय - III

परिषद और अन्य अधिकारियों की शक्तियां

18. परिषद की सामान्य शक्तियाँ

भारत सरकार / विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों के अधीन, संस्थान का प्रशासन और प्रबंधन परिषद की देखरेख में होगा। परिषद को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे;

i. इस उप-नियमों में बताए अनुसार वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना

ii. संस्थान के अधिदेश के लिए नियम/उप-नियम को विनिर्दिष्ट करना और संस्थान के निदेशक और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना

iii. संस्थान के शासन के लिए नियमों को तैयार करना।

iv. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के छह महीनों के भीतर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणी को अनुमोदित करना।

v. संस्थान के कर्मचारियों के लिए स्थापना, वेतन, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित नियम बनाना।

vi. संस्थान के अधिदेश अनुसार छात्रों/अध्येताओं का अनुपातिक रूप में प्रवेश तय करें। यह शक्ति परिषद द्वारा अनुमोदित कुल सीमा के भीतर निदेशक को सौंपी जा सकती है।

vii. ऐसी सलाहकार/ विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों करना या अन्यथा ऐसी सिफारिशें पर विचार करना और मानना।

viii. संस्थान के उस अधिदेश को बढ़ावा देना जिसमें संस्थान में अनुसंधान शामिल हो और संस्थान के सत्र की शुरुआत और अवधि की तारीख तय करना।

ix. चूंकि सरकार/विभाग के पास पद के सृजन/उन्नयन की शक्तियाँ निहित है, इसलिए पद के सृजन/उन्नयन के बारे में विभाग को सिफारिश करना। हालांकि वैज्ञानिक/तकनीकी/संकायों या अन्य व्यक्तिगत पदोन्नति को समायोजित करने के लिए पदों का सृजन, जहां भी लागू हो, निदेशक/परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

x. संस्थान के निदेशक के स्तर से नीचे के भर्ती नियम, पदोन्नति नीति, वेतन संरचना और कैडर संरचना को तैयार करना। संस्थान के निदेशक की नियुक्ति सरकार/एसीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी से परिषद द्वारा की जाएगी।

xi. परिषद, संस्थान के प्रशासनिक और सहायक कार्मिक की कैडर समीक्षा करने के लिए सक्षम होगी और कार्यान्वयन के लिए इसे अनुमोदित करेगी। इस तरह की कैडर समीक्षा से होने वाले ऐसे किसी भी पदों का सृजन, जिसका वेतन सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य या अधिक है, को आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अनुमोदन के लिए विभाग को भेजा जाएगा।

xii. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के का.ज्ञा सं. F.No 8 (4) E-Coord./84 दिनांक 15 अक्टूबर 1984 के साथ विधिवत पृष्ठांकित पऊवि के पत्र सं. JS (F)/DAE/IV/14/25/63 दिनांक 2 जून 2016 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे; -

रोजगार संरचना से संबंधित प्रस्ताव अर्थात, वेतनमानों भत्तो को अपनाने,और उसमें संशोधन करने और पदों के सृजन के लिए भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की प्रत्यायोजित शक्ति से परे वित्तीय मामले में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और सहायता प्राप्त संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष के बीच असहमति की स्थिति में उस मामले को नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

xiii. जहाँ शासी परिषद नियुक्ति प्राधिकरण है, वहाँ संबंधित प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करते हुए संस्थान की पदोन्नति नीति के अनुसार सभी कर्मचारियों को पदोन्नति और अनुदान पदोन्नति के सभी मामलों पर विचार करना और पदोन्नति देना ।

xiv. संस्थान की ओर से अनुबंधों और अन्य दस्तावेज़ों का निष्पादन, कानूनी कार्यवाही का संचालन और बचाव और अभिवचन हस्ताक्षर करने के तरीके। परिषद आवश्यकतानुसार इन शक्तियों को ऐसे अन्य अधिकारियों को पुन: सौंप सकती है।

xv. संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने और संस्थान के किसी भी नियम के तहत ऐसे नियम बनाना आवश्यक हो सकता है।

xvi. वित्त/स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति।

xvii. वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण।

xviii. संस्थान निदेशक और अन्य प्रशासनिक प्रमुखों को अपनी शक्तियां प्रदान करना।

19 सेवा विस्तार

निम्नलिखित शर्तों के अधीन सिद्ध विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिक / शैक्षणिक अधिकारियों की सेवाओं को विस्तार देना:-

सेवा विस्तार को नियमित विषय नहीं माना जा सकता। विचाराधीन अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले 25% अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है।

शुरुआत में केवल दो साल की अवधि के लिए और समीक्षा के बाद दो साल के दूसरे कार्यकाल के लिए मामलों पर विचार किया जा सकता है।

किसी भी स्थिति में अधिवर्षिता के बाद 64 वर्ष की आयु होने के बाद सेवा विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सेवाओं के विस्तार के सभी मामलों पर संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समस्तरीय समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति में संस्थान के बाहर का कम से कम एक सदस्य शामिल होगा।

20 संस्थान के सत्र

संस्थान पूरे वर्ष कार्य करेगा। प्रत्येक वर्ष शनिवार, रविवार और निदेशक द्वारा तय किए गए कुछ विशेष दिनों को छोड़कर कोई अवकाश नहीं होगा ।

कार्य समय: संस्थान के कार्य का समय निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

21 अधिकारियों की नियुक्ति

21.1 लेवल 13 (या समतुल्य) और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में परिषद नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

21.2 लेवल 6 से 12 तक और ग्रुप "बी" पदों के समकक्ष सभी पदों पर नियुक्तियों के लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

21.3 रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लेवल 6 से नीचे के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

21.4 किसी वेतनमान में सदस्यों की पदोन्नति उसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी जो उस वेतनमान के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है।

22. अनुशासनात्मक प्राधिकारी

22.1 शासी परिषद अपने कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है, जिसके लिए परिषद प्राधिकारी नियुक्त कर रही है। शासी परिषद के आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दंड पर पुनर्विचार करने के लिए शासी परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।

22.2 संस्थान के निदेशक उन कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं। परिषद ऐसे सभी मामलों में अपीलीय, संशोधन और समीक्षा प्राधिकारी होंगे।

22.3 संस्थान के रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उन कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ऐसे सभी मामलों में संस्थान के निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे और परिषद संशोधन और समीक्षा प्राधिकारी होगी।

23. प्राधिकारियों की विशिष्ट शक्तियाँ

23.1 अध्यक्ष

(i) परिषद के अध्यक्ष के पास चयन समिति की सिफारिश पर न्यूनतम स्तर से अधिक स्तर पर प्रारंभिक वेतनमान (अधिकतम 5 वेतन वृद्धि प्रदान करके) को नियत करने की शक्ति होगी; जिन पदों के लिए परिषद द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं।

(ii) संस्थान के कर्मचारियों/छात्रों/फेलो को प्रशिक्षण या अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर भेजने

का अधिकार अध्यक्ष के पास होगा, जो समय-समय पर परिषद द्वारा यथा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। यह अधिकार संस्थान के निदेशक को सौंपा जा सकती है।

(iii) आकस्मिक परिस्थितियों में और संस्थान के हित में, अध्यक्ष परिषद की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इसके अनुमोदन के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना देगा।

23.2 निदेशक

निदेशक संस्थान के प्रमुख हैं और आधारभूत नियमों और सहायक नियमों (एफआर एवं एसआर), सामान्य वित्तीय नियमवली, टीए नियमवली, एलटीसी नियमवली, भविष्य निधि (दोनों अंशदायी और सामान्य) नियमवली वित्तीय नियमवली आदि के अधीन विभाग के प्रमुख की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

I. संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह नियमों/उप-नियमों के अनुसार परिषद के नियंत्रण में संस्थान के कार्य करें और आकस्मिक मामले में वह आवश्यकतानुसार कार्रवाई कर सकता है और परिषद को रिपोर्ट कर सकता है।

II. निदेशक उन पदों के संबंध में कर्मियों की भर्ती और पदोन्नति कर सकते हैं जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं।

III. चयन समिति की सिफारिशों पर निदेशक के पास उनके द्वारा नियुक्ति के पदों के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक वेतनमान का प्रारंभिक वेतन तय करने की शक्ति होगी , लेकिन उनके द्वारा पांच से अधिक वेतन वृद्धि नहीं की जा सकती। यह भारत सरकार/पऊवि के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

IV. निदेशक के पास प्रोजेक्ट स्टाफ/प्रोजेक्ट सहायक/तकनीशियनों और सलाहकारों तथा अन्य कर्मचारी-बल को आवश्यकता के आधार पर नियोजित करने की शक्ति होगी और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस तरह के नियोजन की अवधि परियोजना के पूरा होने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार/पऊवि के मानदंडों(यदि कोई हो का पालन किया जाएगा।

V. परिषद द्वारा यथानिर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन संस्थान के कर्मचारियों को भारत के अंदर प्रशिक्षण के लिए या पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्त करने की शक्ति निदेशक की होगी।

VI. निदेशक को अपनी इमारत को किराए पर देने या पट्टे पर देने की शक्ति होगी।

VII. निदेशक को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपयोगी भवनों के लिए किराए में छूट या कटौती को मंजूरी देने की शक्ति होगी।

VIII. निदेशक के पास संस्थान के कार्यालय और आवासीय भवनों के संबंध में (संपदा अधिकारी) की शक्तियां होंगी, जिसे वह परिषद के अनुमोदन से संस्थान के किसी अधिकारी को सौंप सकता है।

IX. रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अधिकतम एक माह की अनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के किसी भी कार्य की ज़िम्मेदारी निदेशक अपने हाथ में लेगा या संस्थान के किसी अन्य कर्मचारी को, जिसे वह उपयुक्त समझता है, उसे सौंपेगा। बशर्ते कि अगर किसी भी समय रजिस्ट्रार या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति एक महीने से अधिक हो जाती है, तो परिषद यदि उचित समय में एक महीने से अधिक अवधि के लिए 'निदेशक' को पदभार संभालने या रजिस्ट्रार या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य को पूर्वोक्त अनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

X. संस्थान में निदेशक की अनुपस्थिति के दौरान निदेशक के पद के वर्तमान कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए डीन या वरिष्ठ अधिकारी में से किसी एक को निदेशक प्राधिकृत कर सकता है, जो जिसकी आयु अधिवर्षिता की आयु से कम है ।

XI. निदेशक, परिषद की मंजूरी से अपनी शक्तियों, दायित्वों और अधिकारों को संस्थान के शैक्षणिक/वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारियों में से एक या एक से अधिक सदस्यों को सौंप सकता है।

XII. निदेशक संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

XIII. अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए निदेशक उत्तरदायी होंगे।

XIV. कर्मचारियों से संबंधित न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन या अन्यथा के लिए निर्णय लेंगे।

XV. निदेशक कानूनी मामलों में बचाव के लिए शुल्क का भुगतान करके कानूनी परामर्शदाता/वकील को नियुक्त कर सकते हैं।

23.3 रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

I. परिभाषा के अनुसार रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संस्थान की मोहर एवं संपदा का संरक्षक होता है।

II. रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी परिषद में गैर-सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

III. रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निदेशक के सामान्य नियंत्रण और आदेशों के तहत काम करेंगे। संस्थान से संबंधित सभी मामलों में, वह निदेशक के सामान्य नियंत्रण और आदेशों के तहत कार्य करेंगे।

IV. रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निदेशक के अनुदेशों के अधीन संस्थान से संबंधित पत्राचार के प्रभारी होगें ।

V. रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संस्थान के प्रशासनिक/गैर-शैक्षणिक/गैर-वैज्ञानिक/गैर-तकनीकी कर्मचारियों और सामान्य रखरखाव कर्मचारियों के प्रभारी होंगे।

VI. रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी परिसर के रखरखाव और अनुरक्षण का काम देखेंगे।

अध्याय – IV
स्टाफ, उनकी श्रेणियाँ एवं नियुक्तियाँ

24. संस्थान के स्टाफ सदस्यों का वर्गीकरण

आकस्मिक और परियोजना स्टाफ के रूप में भुगतान पानेवाले कर्मचारियों को छोड़कर, संस्थान के अन्य सभी स्टाफ सदस्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा:-

(क) **शैक्षिक/वैज्ञानिक**:- जिसमें निदेशक, उप-निदेशक, डीन, वरिष्ठ प्रोफ़ेसर/प्रोफ़ेसर, वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी, सहयोगी प्रोफ़ेसर, फ़ैलो, लाइब्रेरियन तथा परिषद द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य शैक्षिक/वैज्ञानिक पद शामिल है। किसी विशेष पद के शैक्षिक या वैज्ञानिक पद होने के संबंध में आशंका होने पर, इस मामले में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(ख) **तकनीकी**:- जिसमें वैज्ञानिक सहायक, तकनीशियन एवं ड्राफ्टमैन तथा परिषद द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। किसी पद के तकनीकी पद के रुप में वर्गीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आशंका होने पर, निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(ग) **प्रशासनिक एवं अन्य सहायक:-** जिसमें नियंत्रक, रजिस्ट्रार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, क्रय अधिकारी, भंडारण अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी (प्रशासन /क्रय /लेखा /भंडारण /सुरक्षा) कार्यालय सहायक (प्रशासन/क्रय/लेखा/भंडारण/सुरक्षा), हिन्दी अनुवादक, आशुलिपिक, लिपिक, अटैंडेंट, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ तथा परिषद द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य प्रशासनिक तथा अन्य स्टाफ शामिल हैं। किसी

भी पद के वर्गीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आशंका के मामले में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(घ) इसके अतिरिक्त, संस्थान के कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा:-

लेवल 10 (अथवा समकक्ष) और इससे ऊपर के पद को भारत सरकार सेवा के ग्रुप 'ए' के पदों के रुप में वर्गीकृत तथा समीकृत किया गया है।

लेवल 6 से 9 के पद को भारत सरकार सेवा के ग्रुप 'बी' के पदों के रुप में वर्गीकृत तथा समीकृत किया गया है।

लेवल 6 से नीचे के पद को भारत सरकार सेवा के ग्रुप 'सी' के पदों के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

(उपरोक्त वर्गीकरण भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित वर्गीकरण के अनुसार माना जाएगा)।

25. नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियाँ

(क) सभी पद संस्थान द्वारा स्वीकृत नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियमों के तहत भरे जाएंगे। सभी रिक्तियाँ सामान्यत: विज्ञापन के द्वारा भरी जाएंगी, परंतु विशेष मामलों में, निदेशक महोदय की सिफ़ारिश पर परिषद के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कोई विशेष पद संस्थान के कर्मचारियों में से किसी को आमंत्रित कर अथवा पदोन्नति द्वारा भरा जाए।

(ख) नियुक्तियाँ करते समय, संस्थान परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित करने का प्रावधान करेगा।

(ग) जब कोई पद (मद सं. 39 में उल्लेखित परियोजना स्टाफ को छोड़कर) अनुबंध के आधार पर अथवा निमंत्रण के आधार पर भरा जाना होगा, तब प्रत्येक मामले की परिस्थिति की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष/निदेशक महोदय अपने विवेकानुसार तदर्थ चयन समिति का गठन कर सकते हैं।

(घ) यदि कोई पद संस्थान के सदस्यों में से किसी को निमंत्रित कर अथवा अधिकतम 12 महीनों के लिए अस्थायी आधार पर भरा जाना है, तो परिषद इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगा,जिसका अनुसरण करना होगा।

(ङ) इन उपनियमों में किसी बात का उल्लेख होते हुए भी,"अनुमोदित" कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की यथोचित रीति से नियुक्तियाँ करने का परिषद को अधिकार प्राप्त है।

(च) संस्थान में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) की नियुक्ति के लिए परिषद, भारत सरकार के विनियमों के अनुसार नियम अथवा प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।

(ज) जब तक इन उप-नियमों के अधीन अन्यथा उपबंधित न हो,इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति उस पद के संबंध में अपने कार्यों का उपयोग करने के लिए पात्र होगी जब तक कि उस पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती।

(झ) लेवल 13 और इससे उपर के पदों पर की गई सभी नियुक्तियों/पदोन्नतियों की सूचना परिषद को आगामी बैठक के दौरान देनी होंगी।

26. संस्थान के निदेशक/प्रधान की नियुक्ति

26.1 नियुक्ति की प्रक्रिया प.ऊ.वि. के निर्देशों के अनुसार होगी। शासी परिषद के अनुरोध पर प.ऊ.वि. द्वारा एक सर्च समिति का गठन किया जाएगा। सर्च समिति की शिफ़ारिशें शासी समिति के विचारर्थ एवं अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

26.2 निदेशक की नियुक्ति सामान्यत: एक बार में अधिकतम 5(पांच)वर्ष के लिए की जाएगी । विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार परिषद उनका वेतन तथा भत्ता एवं सेवा की अन्य शर्तें तय करेगी।

26.3 पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरांत, परिषद के विवेकाधीन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की सहमति से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए उनकी पुन: नियुक्ति की जा सकेगी, किंतु 65 वर्ष की आयु के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निदेशक के पद पर आसीन नहीं हो सकेगा।

26.4 निदेशक की नियुक्ति तथा उनकी कालावधि में वृद्धि की स्वीकृति मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा दी जाएगी। निदेशक के त्यागपत्र की स्वीकृति अथवा समय से पहले उनकी पद मुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

27. **स्थानापत्र निदेशक/कार्यकारी निदेशक**

27.1 खंड 26 में निहित किसी बात के बावजूद भी निदेशक के अनुपस्थित रहने पर (एक बार में 30 दिवस या उससे अधिक) अध्यक्ष खंड 26 के तहत किसी व्यक्ति के निदेशक के रुप में कार्य करने के लिए , अर्थात कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्ति कर सकते हैं। इसकी सूचना परिषद को अगामी बैठक में दी जाएगी। वे दिन-प्रतिदिन का कार्य करेंगे परंतु नियमित निदेशक के संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे।

27.2 ACC के अनुमोदन से परिषद, निदेशक के कार्यालय में रिक्ति होने पर निदेशक की अस्थायी नियुक्ति अर्थात् कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति भी कर सकती है। इस खंड के तहत, प.ऊ.वि. की सहमति के साथ, कोई भी नियुक्ति किसी भी समय एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए नहीं होगी।

28. **रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ लेखा प्रमुख की नियुक्ति**

रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / (लेखा) प्रधान की नियुक्ति, वेतनमान चाहे जो भी हो, निदेशक की सिफ़रिश पर परिषद द्वारा की जाएगी।

अध्याय – V
वित्त एवं लेखा

29. **वर्ष**

संस्थान का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च तक का होगा।

30. **संस्थान का बजट एवं निधि**

30.1 संस्थान के वार्षिक बजट आकलन तैयार करने के प्रभारी निदेशक महोदय होंगे और वे इसके लिए परिषद से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्रालय/परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत आकलन दिए जाएंगे।

संस्थान की निधि में निम्नलिखित शामिल है:-

i. सरकार, सरकारी निकायों, एवं विश्वविद्यालयों, संस्थानों या निगमों, संस्थाओं अथवा सोसाइटियों से प्राप्त अनुदान;

ii. संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों तथा निवेश, संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री, समय-समय पर वसूली की गई फीस, उपभोक्ता शुल्क इत्यादि से प्राप्त अथवा एकत्रित आय एवं लाभ;

iii. परिषद द्वारा स्वीकृत अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान;

iv. प्रौद्योगीकी के अंतरण, कंसल्टेंसी तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त आय, तथा

v. समग्र निधियाँ।

30.2 प्राप्तियाँ एवं व्यय से सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार होगी:-

(i) पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े

(ii)चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान

(iii) चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान

(iv) आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान

30.3 लेखाजोखा विधि द्वारा य्थायेक्षित लेखा मानकों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा।

30.4 लेखा प्रमुख संस्थान के लेखा के लिए उत्तरदायी होंगे।

30.5 सभी बिलों पर 'भुगतान के लिए पारित' का पृष्ठांकन होना चाहिए तथा इन पर निदेशक महोदय अथवा उनके द्वारा अधिकार प्राप्त संस्थान के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

30.6 निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर तय की गई स्थायी अग्रिम राशि प्रधान (लेखा) द्वारा नकद भुगतान हेतु रखी जानी चाहिए।

30.7 संस्थान द्वारा अथवा संस्थान के नाम प्राप्त सारा धन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैंक में संस्थान के नाम चालू, बचत अथवा सावधि जमा खाते में रखा जाएगा।

31 **लेखा परीक्षा**

संस्थान के लेखा का प्रति वर्ष लेखा परीक्षण किया जाएगा जिसके लिए समय-समय पर कानून में निहित प्रावधानों तथा परिषद के अनुमोदन अनुसार निदेशक द्वारा अर्हताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटंट अथवा लेखाकारों (वैधानिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति की जाएगी। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पास पैनलबद्ध सूची से वैधानिक लेखापरीक्षकों का चयन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षकों का कार्यकाल सामान्यत: तीन वर्ष का रहेगा।

32 **वित्तीय अधिकारों का प्रयोग**

संस्थान भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर खरीद, कार्य अनुबंध, कंसल्टेंसी अनुबंध इत्यादि के संबंध में वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामलों पर जारी किए गए आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। शासी परिषद अपनी शक्तियाँ विभिन्न प्राधिकारियों को आवश्यक सीमा तक सौंप देगी।

अध्याय – VI
समितियाँ

33 **वित्तीय समिति**

33.1 वित्तीय समिति होगी जिसमे निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे:-

(i) परिषद के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष या उनके/उनकी नामिति होंगे

(ii) निदेशक

(iii) संस्थान के कार्यों से संबंधित प.ऊ.वि. के संयुक्त सचिव (वित्त)

(iv) संयुक्त सचिव (वित्त)

(v) यदि आवश्यक हो तो, परिषद द्वारा मनोनीत एक या दो सदस्य

(vi) रजिस्ट्रार/मु.प्र.अ./प्रधान (लेखा) समिति के संयोजक होंगे।

33.2 वित्तिय समिति के कार्य निम्नानुसार होगें :-

(i) वार्षिक बजट की जांच एवं संवीक्षा कर परिषद को अपनी सिफ़ारिशें भेजना।

(ii) संस्थान के वित्त से संबंधित कोई भी मामला।

(iii) संस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण की जांच।

(iv) उपभोक्ता शुल्क तय करना और उसकी समीक्षा करना।

(v) समिति अपना कार्यवृत्त परिषद के विचार एवं पुष्टि के लिए प्रस्तुत करेगी।

(vi) परामर्शी अनुबंध, निर्माण कार्य एवं खरीद अनुबंध को अंतिम रूप देने से संबंधित निदेशक महोदय के वित्तीय अधिकारों से अधिक राशि के मामलों में शासी परिषद के वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना।

33.3 समिति किसी विशेष कार्य के लिए जितनी बार आवश्यक हो अथवा परिषद/अध्यक्ष की इच्छानुसार बैठक करेगी।

33.4 समिति अपनी बैठक का का कार्यवृत्त परिषद के विचारर्थ तथा पुष्टि के लिए प्रस्तुत करेगी।

34. **खरीद,भवन एवं निर्माण कार्य समिति (PBWC)**

परिषद द्वारा गठित खरीद, भवन निर्माण कार्य समिति (PBWC) होगी। यह समिति परिषद के अधिकारों से अधिक राशि की खरीद, निर्माण कार्यों को देखेगी और अनुमोदन के लिए विभाग को अपनी सिफ़ारिश प्रस्तुत करेगी। परिषद

द्वारा मनोनीत/गठित संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता वाली इस समिति में 5-7 सदस्य हो सकते हैं। समिति में प.ऊ.वि. के प्रशासनिक और वित्त अनुभागों के सदस्य सम्मिलित होंगे। समिति प.ऊ.व./के.लो.नि.वि. की रुपरेखा/डीपीएस (DPS) के मानदंड के अनुसार परिषद के निदेशों के तहत कार्य करेगी।

35. **निदेशक की सलाहकार परिषद (DAC)**

संस्थान के सभी वैज्ञानिक कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक/वित्तीय मामलों के बेहतर समन्वय के लिए निदेशक करीब 15 वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों की निदेशक की सलाहकार समिति का गठन करेंगे।

36. **भर्ती/पदोन्नति समितियों का गठन**

I. **निदेशक द्वारा गठित समिति**

लेवल 12 और इससे नीचे के लेवल पर नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए निदेशक समितियों का गठन करेंगे।

II. **परिषद द्वारा गठित समिति**

लेवल 13 और इससे ऊपर के लेवल पर नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए परिषद विशेष समितियों का गठन करेगी ।

अध्याय – VII
सेवा शर्तें

37 **अनुशासनिक नियम**

37.1 संस्थान में स्टाफ के सदस्य की नियुक्ति करनेवाला अधिकारी, उसे निलंबित, कार्य-मुक्त, बर्खास्त कर सकता है, या उसे कदाचार के लिए या नियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उसे दंडित कर सकता है।

37.2 आचरण और अनुशासन से संबंधित नियमों के मामलों में, संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमवली , 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण वर्गीकरण और अपील), 1965 में निहित आचरण और अनुशासनात्मक नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा नियमवली जैसे कि मूल नियमावली, अनुपूरक नियमवली , यात्रा भत्ता नियमवली ,छुट्टी यात्रा रियायत नियमवली , पेंशन नियमवली आदि के मामलों में, कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार विनियंत्रित किया जाएगा।

38. **छुट्टी नियमवली**

38.1 केंद्र सरकार के समय-समय पर संशोधित CCS छुट्टी नियमवली के अनुसार कर्मचारियों को छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी , अर्जित छुट्टी , चिकित्सा आधार पर छुट्टी, अतिरिक्त-साधारण छुट्टी आदि सहित)दी जाएगी । अध्ययन छुट्टी ,स्बैटिकल छुट्टी , असाधारण छुट्टी आदि के लिए नियम प.ऊ.वि. के दिशानिर्देशों

के अनुसार होंगे।

38.2 छुट्टी के मामले में अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। कार्यालय में जहाँ आकस्मिक जरूरतों को पूरा करना हो, वहाँ प्राधिकारी के विवेकाधिकार के तहत किसी भी कारण से छुट्टी को अस्वीकार या निरस्त करने का, छुट्टी न देने का विशेषाधिकार सुरक्षित रहेगा।

39. **स्टाफ की भर्ती एवं पदोन्नति**

संस्थान के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के संबंध में, मूल्यांकन एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति सहित, भर्ती और पदोन्नति, शासी परिषद द्वारा बनाई गई विस्तृत योजना के अनुसार विनियमित की जाएगी। संस्थान ने शासी परिषद के अनुमोदन के बाद अप्रैल 2013 से अपने वैज्ञानिक/तकनीकी स्टाफ सदस्यों के लिए प.ऊ.वि. की भर्ती और पदोन्नति दिशानिर्देशों को अपनाया है। ट्रॉम्बे परिषद द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग मानदंड अपनाए जाएगे ।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अपार को अपनाया है। अपार के माध्यम से ट्रॉम्बे परिषद द्वारा अनुमोदन के अनुसार शैक्षणिक/वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों के गुणों और कार्य आउटपुट का मूल्यांकन किया जाता है। प्रशासनिक और सहायक कर्मियों के संबंध में भी, संस्थान प्रशासनिक मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित प्रणाली का पालन करेगा।

40. **अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगों के लिए आरक्षण**

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे नियम/आदेश संस्थान में की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होंगे।

41. **अनुबंध आधारित सेवाएँ**

जहां तक संभव हो, निदेशक , संस्थान के लिए अवसंरचनात्मक,सहायक , रखरखाव और अन्य संबंधित सेवाओं को आउटसोर्स और अनुबंध के आधार पर कराएगे । ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को संस्थान का कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

42. **परियोजना आधारित नियुक्तियाँ**

निदेशक अधिकतम 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, विशिष्ट परियोजनायों की आवश्यकता के अनुसार, विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर परियोजना कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। इन उप-नियमों के अध्याय-4 की परिभाषा के अनुसार इन नियुक्तियों को कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए।

निदेशक की सलाहकार परिषद (DAC) की सिफारिश पर परियोजना नियुक्ति की शर्तों को लागू करने और संशोधित करने का अधिकार निदेशक के पास होगा।

43 अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (CHSS):

प्लाज्मा अनुसंधान (IPR) संस्थान की "अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना" (CHSS) के रूप में जानी जाने वाली मौजूदा चिकित्सा योजना जारी रहेगी। पऊवि के अनुसार लाभार्थियों की परिभाषा का अनुसरण किया जाएगा।

44 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली :

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, भाट, गांधीनगर की मौजूदा "अंशदायी भविष्य निधि नियमवली " जारी रहेंगी ।

45 खरीद और भंडारण प्रक्रियाएँ:

संस्थान ने पऊवि द्वारा अक्टूबर 2009 में जारी डीपीएस खरीद नियमावली और समय-समय पर इसके संशोधनों को अपनाया है।

अध्याय - VIII

विविध

46 संस्थान की ओर से अनुबंधों का निष्पादन

संस्थान और निदेशक के बीच सभी समझौते, अनुबंध आदि, संस्थान और निदेशक के बीच को छोडकर , जो संस्थान के कार्यों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, परिषद की ओर से निदेशक द्वारा या इस उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा प्राधिकृत संस्थान के एक अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

47 शाश्वत उत्तराधिकार

संस्थान के पास शाश्वत उत्तराधिकार होगा और अपने रजिस्ट्रार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुकदमा दायर करने में सक्षम होगा या उसके नाम पर मुकदमा किया जा सकेगा।

48 उप-नियमों में संशोधन

नियमावली के लिए बुलाई गई बैठक में मौजूद उसके तीन-चौथाई सदस्य द्वारा इन नियमों के प्रावधानों को बदलने, जोड़ने या संशोधित करने की शक्ति परिषद के पास होगी। इन उप-नियमों को संबंधित विधि में शामिल प्रक्रिया, जिसके द्वारा संस्थान पंजीकृत है, का पालन करने के बाद विभाग की सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

49 अवशिष्ट शक्ति

उप-नियमों में जो शक्तियाँ निहित नहीं है, उनका प्रयोग प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से परिषद द्वारा किया जा सकता है।

50 उपनियमों की व्याख्या

उप-नियमों या शासन के नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के मामले में, परिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

51 छूट का अधिकार

सार्वजनिक हित में परिषद उप-नियमों के किसी भी या सभी प्रावधानों में छूट देने के लिए सक्षम है।

52 वार्षिक रिपोर्ट

परिषद भारत सरकार को संस्थान के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखाओ के परीक्षित विवरण शामिल होंगे।

53 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय

प्राधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति करके सभी आवश्यक कदम उठाएगा। संस्थान आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 की भी निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सक्रिय प्रकटीकरण समय-समय पर ठीक से अद्यतन किए जाएं।

54 शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना

कर्मचारियों के साथ-साथ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित तंत्र होनी चाहिए। संस्थान समयबद्ध तरीके से शिकायत याचिकाओं का निपटान करने के लिए "शिकायत अधिकारी" नियुक्त करेगा।

55 कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन

संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) संबंधी अधिनियम संस्थान में सच्ची भावना और रूप में लागू किया गया है।

56 नियम और विनियम

संस्थान उपरोक्त उप-नियमों का पालन करेगा और उपरोक्त के अतिरिक्त, संस्थान की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त नियमों और विनियमों को तैयार किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊपर उल्लिखित उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है, अर्थात उपर्युक्त उप-नियमों के प्रावधानों या सरकार/विभाग के दिशानिर्देशों के विरूद्ध नहीं होने चाहिए। नियमों और विनियमों और इन उप-नियमों के बीच कोई असंगतता होने की स्थिति में, उप-नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

57 इसमें सम्मिलित नहीं किए गए मामलें

57.1 संदेह दूर करना: जहां इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण में संदेह होता है, तो इस मामले को निर्णय के लिए शासी परिषद को भेजा जाएगा।

57.2 यदि कोई प्रश्न उठता है जो इन उप-नियमों में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो परिषद का निर्णय अंतिम होगा। इसमें किसी भी मामले को सम्मिलित नहीं करने के संबंध में, इस विषय पर केंद्र सरकार के नियमों/आदेशों आदि को ध्यान में लिया जाएगा।

58 अपवादी खंड

सरकार या विभाग द्वारा कोई भी निर्देश संस्थान पर बाध्यकारी होगा और संस्थान के उप-नियमों, संविधियों या नियमों के किसी भी प्रावधान पर अधिभावी प्रभावी होगा।

(ये उप-नियम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किये गये हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)